

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक-1941 का नियम 129)

तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 270 सन् 2013-14

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी: यदि कोई सहित।												
<p>20/4/13</p>	<p>श्री मती कृष्णा शर्मा पति श्री प्र० वैद्यनाथ शर्मा ग्राम लौदीपुर पो० थाना मेहन्डिया जिला अरवल केवाला नं० 2415 दिनांक 17/3/12</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रतापपुर</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>413</td> <td>51.4 एक कट्टा पाटधुआ</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दे, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 30/4/13 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	प्रतापपुर	22	36	413	51.4 एक कट्टा पाटधुआ	1.00	<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
प्रतापपुर	22	36	413	51.4 एक कट्टा पाटधुआ	1.00									
<p>30/04/13</p>	<p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>												

*Cem-1140
13/5/13*